

## डिक्की व मुकदमें हवाईदार्

(आदेश 20 नियम 6-7 जा०१०)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- मीनू वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:- 104/2019

- (1) संदीप कुमार }  
(2) सुबे सिंह } पि० रमेश कुमार जाति जाट निवासी  
केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

:- वादीगण:-

:- बनाम:-

- (1) रमेश कुमार पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
(2) तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

:- प्रतिवादीगण:-

आज यह वाद मुझ मीनू वर्मा आर०ए०एस सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टिब्बी के समक्ष श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वादीगण व श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण की हाजिरी में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद डिक्की किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी स० 1 संदीप कुमार चक न० 8 आरडबल्यूडी प०न० 228/365 कि०न० 3/1/0.1140, 3/2/0.0125, 4/1/0.2280, 4/2/0.0250, 5/1/0.2020, 5/2/0.0510, 6/1/0.2280, 6/2/0.0250, 7/0.2530, 8/0.1265 हे०, वादी स० 2 सुबे सिंह चक न० चक न० 8 आरडबल्यूडी प०न० 228/365 कि०न० 1/1/0.0250, 1/3/0.2020, 2/1/0.2280, 2/2/0.0250, 3/1/0.1140, 3/2/0.0125, 8/0.1265, 9/0.2530, 10/1/0.2280 हे० के अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व इसी अनुसार वादीगण का खाता अलग से तकसीम कर रकमराज अलग कायम की जावे। उक्त खाता में बाकी रकबा जमावदी में प्रतिवादी स० 1 के नाम बदस्तुर रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक श्रण की स्थिती में रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....  
निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
वसुलयावी तक.....अदा करे।

डिक्की आज दिनांक 3-9-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं  
कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी  
टिब्बी